बाल विवाह मुक्त हमारा बिहार

दहेज मुक्त बिहार संकल्प हमारा

बाल विवाह
को संबोधित करने के लिए

समाज कल्याण विभाग के लिए
मानक परिचालन प्रक्रिया

महिला विकास निगम, बिहार
समाज कल्याण विभाग

बिहार सरकार

बाल विवाह को संबोधित करते हुए समाज कल्याण विभाग के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया

सन्दर्भ

बिहार सरकार द्वारा अपनी पहल से राज्य में बाल विवाह का अंत करने के लिए विभिन्न सम्बंधित हितधारकों हेतु मानक संचालन प्रक्रिया जारी की जा रही है। इस मानक संचालन प्रक्रिया के निर्माण का उद्देश्य राज्य समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पूरे बिहार में कार्यरत अधिकारियों के लिए सामान्य सर्वमान्य हस्तक्षेप का तरीका प्रदान करना है। यह अपेक्षित है कि इसका उपयोग वे बाल विवाह की घटना के संज्ञान में आने पर उसमें हस्तक्षेप करने और उसकी रोकथम करने के लिए करेंगे। यह पुस्तिका हितधारकों को उनके अपनी परिस्थितियों में बाल विवाह के मूल कारणों को संबोधित करने में मदद कर सकता है।

यहाँ पर बाल विवाह का अंत करने के सम्बन्ध में समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों की भूमिका, और उनके लिए मानक संचालन प्रक्रिया की चर्चा की गई है

- बाल कल्याण समिति (CWC)
- सहायक निदेशक बाल संरक्षण (ADCP)
- जिला कल्याण अधिकारी

समुदाय के प्रत्येक व्यक्ति– बच्चे, बड़े, पुरुष, स्त्री, रिश्तेदार, पुजारी और नेता–हर कोई बाल विवाह को खत्म करने में मदद कर सकता। हमें उन तक पहुँचकर उनको बाल विवाह के नकारात्मक प्रभावों के परिप्रेक्ष्य में संवेदनशील बनाने की जरुरत है, और उन्हें इस कुरीति का प्रतिरोध करने के लिए समझाने और प्रेरित करने की जरूरत है। बाल कल्याण समिति के पास अपनी पद और प्रतिष्ठा (वाह्य परिवर्तनकारी कारक के रूप में) के चलते इस बात के लिए अनुकूल परिस्थिति होती है कि, वे समुदाय के सभी हिस्सों में जाकर बाल विवाह के बुरे प्रभाव के बारे में और इनसे सम्बंधित लागू कानूनों और योजनाओं के बारे में लोगों को बताएं।

बाल विवाह क्या है और इसको संबोधित करने में CWC और ADCP की भूमिका क्या है?

बाल विवाह – 18 वर्ष से कम आयु के लड़की और / या 21 वर्ष से कम आयु के लड़के की शादी न केवल कानून (बाल विवाह निषेध अधिनियम) के विरोध में जाता है, बल्कि यह मानवाधिकारों का भी उल्लंघन करता है। यह बच्चों (विशेष रूप से लड़कियों) के सभी प्रकार के विकास के लिए घातक है।

बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA), 2006, बाल विवाह निषेध अधिकारी (CMPO) की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करता है और यह बाल विवाहों के दर्ज मामलों या शिकायतों के निबटारे के लिए एक प्रक्रिया और तंत्र की भी स्थापना करता है। ऐसे मामले सामने आये हैं जहां स्थानीय पुलिस मशीनरी के साथ साझेदारी में अधिकारियों द्वारा की गई साहसिक कार्रवाई के परिणामस्वरूप समाज में स्थायी बदलाव हुआ है। यहाँ ऐसे कई स्तर के विभागीय संरचनायें हैं जिनका इस्तेमाल PCMA द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए किया जा सकता है।

- समेकित बाल संरक्षण योजना (ICPS) के तहत अब राज्य से गांव के स्तर तक विभागीय संरचनाएं और तंत्र मौजूद हैं, जिन्हें बाल विवाह रोकने में भागीदार बना सकते हैं। इसमें बाल कल्याण समिति (CWC), बाल न्याय बोर्ड (JJB), चाइल्ड–लाइन (1098), विशेष किशोर पुलिस यूनिट (SJPU), जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) और राज्य में फैले बच्चों के लिए काम करने वाली विभिन्न संस्थायें शामिल हैं। आप उनसे संपर्क करके जिला भर में फैले हुए मानव संसाधन के इस विशाल नेटवर्क से सहयोग लेने की संभावनाओं का पता लगा सकते हैं।
- विभिन्न सरकारी विभागों, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, खेल और युवा मामलों, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय आदि विभागों के साथ और स्थानीय नेताओं, पुजारियों और शिक्षकों के साथ मिलकर काम करना। ये सभी

विभाग आपको मानव और वित्तीय संसाधनों की मदद कर सकते हैं। एक साथ कार्य करने से एक मजबूत नेटवर्क विकसित होगा जो आपके हस्तक्षेप, अभियान, कार्यक्रम आदि को प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

बाल विवाह के मामले में बाल कल्याण समिति (CWC) और सहायक निदेशक बाल संरक्षण (ADCP) द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया

निवारक प्रतिक्रिया / कार्रवाई

1. CWC बाल विवाह के सभी मामलों को बच्चों के देखरेख और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखेगा तथा बच्चों की सहायता और अभिरक्षा के मामले में उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए शादी को बरकरार रखने या फिर समाप्त करने का निर्णय लेगा।
2. यदि किसी बच्चे की शादी होने वाली है, तो CWC का पहला कर्तव्य शादी को रोकने के लिए कार्रवाई शुरू करना है।
3. CWC द्वारा CMPO / ग्राम सेवक को शादी रोकने का निर्देश दिया जा सकता है, जिसके पास शादी रोकने के लिए पुलिस अधिकारी या जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां होती हैं।
4. CWC को बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत आदेश के माध्यम से उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त करने की आवश्यकता होती है, जो सुनिश्चित कर सकें कि अपराधियों को उचित दंड मिले और निर्धारित जुर्माना उनसे वसूल किया जाए।
5. शादी को रोकने के लिए प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन भी दायर किया जा सकता है।
6. यदि कोई शादी किसी एक CWC के अधिकार क्षेत्र से बाहर हो रही है तो वह किसी अन्य दुसरे CWC की सहायता लेकर वह शादी रुकवाई जा सकती है।

सुरक्षा पहलू

1. यदि शादी हो चुकी है तब CWC का पहला काम इस बात का पता लगाना होता है कि जे. जे. अधिनियम के अंतर्गत दी गई आयु की परिभाषा के अनुसार विवाहित बच्चे की श्रेणी में आती/आता है अथवा नही। आयु के सत्यापन के लिए CWC अधिनियम की धारा 94 के तहत आदेश दे सकता है।
2. इस बात का पता चलने के बाद कि विवाहिता/विवाहित बच्चे की श्रेणी में आती/आता है अर्थात लड़की की उम्र 18 वर्ष/लड़के की उम्र 21 वर्ष से कम है तथा उसे देखरेख और सुरक्षा की जरूरत है, तब CWC द्वरा बच्चे को, विशेषकर उस स्थिति में जहां पर शादी निरस्त हो जाये, अपने संरक्षण में ले लेना चाहिए।
3. एक ऐसी शादी के सन्दर्भ में जहां बच्चे लगभग 18 साल की उम्र के हों, CWC सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से उनके माता–पिता को सलाह देने के लिए बुला सकता है।
4. गैर–सरकारी संगठनों और पंचायत की भागीदारी के माध्यम से और सामुदायिक कार्यवाहियों में, परिवारों से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर कराकर परिवारों को इस बात के लिए मनाया जा सकता है कि लड़की की 18 वर्ष और लड़के का 21 वर्ष की आयु पूरी होने तक वे बच्चों की शादी नही करेंगें बच्चे (विशेषकर लड़कियां) अपने परिवार के साथ ही रहेंगे।
5. CWC को यह निश्चित करने की जरूरत होती है कि सवालों के घेरे में आई शादी की घटना घटित हुई है या नही। इन दोनों स्थतियों का निर्धारण करने के लिए, CWC को पुलिस की जांच–पड़ताल व उसके निष्कर्षों, बाल विवाह निषेध अधिकारी की रिपोर्ट और बच्चे के साथ बातचीत तथा बच्चों द्वारा बताये गए तथ्यों पर भरोसा करना चाहिए।
6. अगर बच्चे को शादी के लिए बाध्य किया गया है तो CWC इसकी जांच कर सकती है, तथा बच्चे को उसके इस अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकती कि बाल विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह रद्द करने योग्य है।
7. लड़की के मामले में उसके रख–रखाव के अधिकार को CWC द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।
8. CWC इस प्रकार के विवाह से जन्मे बच्चे को जन्म देने वाली उसकी नाबालिग माँ के साथ अपनी निगरानी में रखने के लिए अधिकृत है, और बच्चे तथा माँ दोनों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेगा।

बिहार का बाल विवाह निषेध नियम, 2010

8 **मई** 2010

सं0 10 / बाल विवाह 03, 2007–1014, बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (2007 के क्रमांक 6) में दिए गए शक्ति के प्रयोग के लिए बिहार सरकार ने निम्न नियम बनाए हैं–

नियम

1. लघु शीर्षक, प्रभाव और आरम्भ

- इन नियमों को बिहार बाल विवाह निषेध नियम, 2010 कहा जाएगा।
- यह पूरे बिहार में लागू होगा।
- यह अधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित होने के दिन से प्रभाव में आ जायेगा।

2. परिभाषाः– इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ की अन्यथा जरूरत न होः–

- 'अधिनियम' का मतलब बाल विवाह निषेध अधिनियम–2006 (2007 का 6) से है।
- न्यायलय का मतलब अधिनियम में परिभाषित किये गए जिला न्यायलय से है।
- "पीड़ित व्यक्ति" का मतलब बाल विवाह के लिए शादी के दोनो पक्षकारों में से कोई भी।
- बाल कल्याण समिति का मतलब किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत गठित की गई समिति से है।
- "फॉर्म" का मतलब उस फॉर्म से है जो इन नियमों के साथ संलग्न है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी का मतलब एक ऐसे व्यक्ति से है, जो बिहार राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के धारा–16 के उपधारा (1) के तहत अधिसूचित है, जिसका उद्देश्य धारा–16 के उपधारा (3) में वर्णित कार्यों को पूरा करना है।
- जिन शब्दों का यहाँ उपयोग किया गया है उन्हें यहाँ परिभाषित नही किया गया है लेकिन उन शब्दों के अर्थ वही हैं जो अधिनयम में दिए गए हैं।

3.

- याचिकाकर्ता धारा–3 के उपधारा (1) के अंतर्गत एक हुक्मनामे के द्वारा किसी बाल विवाह को रोकने के लिए याचिका न्यायलय में दायर कर सकता है, कि न्यायालय इसके लिए अपने न्याय प्रभुत्व का इस्तेमाल करे।
- न्यायालय जब अधिनियम के तहत अपने न्याय प्रभुत्व का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके पास सभी शक्तियां होंगी और सिविल प्रोसीजर कोड के प्रावधान, 1908 (1908 का क्रमांक 5) द्वारा अनुदेशित होगा।
- नगद, गहना सहित कोई भी साज–सामग्री या दिया गया सामान, जिनके वापस करने का आदेश न्यायालय द्वारा दिया जाएगा, वे सब पीठासीन अधिकारी के उपस्थिति में वापस होंगे।
- कोई भी नगदी या सामान वापस करने की प्रक्रिया सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 (1908 का क्रमांक 5) के तहत हुकमीय आदेश से पूरी कराई जायेगी।

4.

- अधिनियम के अनुच्छेद–4 के उपनियम (1) के तहत लड़की के गुजारा भत्ता के लिए न्यायलय द्वारा किसी भी प्रकार के नगद या सामान को एकमुश्त वापस करने का कोई भी आदेश पारित होने के 30 दिन के भीतर उसे महिला पक्षकार को

पीठासीन अधिकारी के उपस्थिति में देनाहोगा। यदि रखरखाव का भत्ता खर्चा प्रत्येक महीने देना है तो पुरुष पक्षकार को प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक उसे दे देना होगा।

- यदि पुरुष पक्षकार कम उम्र का है या उसके गार्जियन महिला पक्षकार को रखरखाव का भत्ता दे पाने में असफल रह रहे हैं तो पीड़ित पक्षकार जिला न्यायलय में इसके सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र के जरिये अधिनियम के धारा (4) के उपधारा (1) के तहत शिकायत दर्ज करायेगा, आयर जिला न्यायालय क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, 1973 के अध्याय IX के अनुसार इसके सम्बन्ध में आदेश पारित करेगा।

5. न्यायलय द्वारा अधिनियम के धारा–5 के उपधारा (1) के तहत पारित किसी भी आदेश की एक प्रति बाल कल्याण समिति के पास जायेगी, जो यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चे को अधिकृत संरक्षक से समय–समय पर उचित देख–रेख व संरक्षण मिल रहा है।
6. ऐसी स्थिति में जहां दूसरा पक्षकार भी नाबालिग है, न्यायालय बच्चे के सर्वोत्तम हित में निर्णय लेने के लिए मामले को बाल कल्याण समिति को भेजेगा।
7. धारा–5 के उपधारा (4) के तहत पारित आदेश नियम 4 के उपनियम (2) के तहत कार्यान्वित किया जाएगा।
8. अधिनियम की धारा 7 के तहत पारित आदेश की प्रतियाँ दोनो पक्षकारों और बाल विवाह निषेध अधिकारी को दी जायेंगी।
9.

- बाल विवाह उत्सव के आयोजन की जानकारी किसी भी व्यक्ति द्वारा बाल विवाह निषेध अधिकारी, ब्लॉक डेवेलोपमेंट अधिकारी, पुलिस थाना, सरपंच या ग्राम पंचायत को मौखिक, लिखित, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, या फिर मोबाइल इत्यादि से भेजा जा सकता है।
- बाल विवाह निषेध अधिकारी के अलावा यदि किसी भी अधिकारी को बाल विवाह समारोह के आयोजन की जानकारी मिलती है, तो वह उसके रिपोर्ट के साथ बाल विवाह निषेध अधिकारी को सुचना प्रदान करेंगे।
- जिला अधिकारी सभी या किसी एक थाने को आदेश दे सकता है कि सभी धार्मिक स्थानों पर निगरानी रखें, जहाँ बाल विवाह का आयोजन संभावित है, विशेषकर उन जगहों पर जहाँ एक ही साथ ढेर सारे बाल विवाह आयोजित हो सकते हैं।

10. बाल विवाह निषेध अधिकारी के कर्तव्य– अधिनियम के धारा–16 के उपधारा (3) में शीर्षक a से f तक लिखे गए कर्तव्यों के अलावा, बाल विवाह निषेध अधिकारी निम्न कर्तव्यों का निर्वहन करेगा–

- अधिनियम के तहत पीड़ित व्यक्ति को, उसके सम्बन्धियों को व उसका साथ देने वाले लोगों को उनके अधिकारों के बारे में बतायेगा।
- राज्य कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के जरिये पीड़िता की कानूनी सहायता सुनिश्चित करेगा।
- पीड़ित व्यक्ति को शेल्टर होम के बारे में बताएगा और यदि जरुरी हुआ तो जबतक मामला कोर्ट में लंबित है तबतक पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए शेल्टर होम की व्यस्था करेगा।
- पीड़िता को अधिनियम के अंतर्गत उसके साथ हुए जुर्म के सम्बन्ध में याचिका दाखिल करने में मदद करेगा।
- अपने प्रभुत्व क्षेत्र में बाल विवाह समारोह के आयोजन पर निगरानी रखेगा और इस प्रकार की संभावनाओं को समाप्त करने के लिए काम करेगा।
- अनैतिक यातायात (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (1956 का 104) के तहत नियुक्त पुलिस अधिकारीयों को सूचित करना कि किसी नाबालिग की शादी उनके जानकारी में आता है, तो निम्न के बारे में पता लगाएं–
  - नाबालिग के विधिक गार्जियन को बहला फुसला कर लड़की को शादी के लिए ले जाया गया है अथवा
  - शादी के लिए बल पूर्वक बाध्य किया गया है
  - किसी स्थान पर जाने के लिए छल पूर्वक प्रेरित किया गया है अथवा
  - शादी के लिए बेचा गया है या शादी के लिए लड़की के खरीद बिक्री को एक माध्यम के रूप में अपनाया गया है
  - लड़की को शादी के समय या उसके बाद बेचा गया है या अनैतिक उद्देश्यों के लिए तस्करी की गयी है।

- बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताने और इसके प्रति उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए –
  - जागरुकता अभियानों का आयोजन करना
  - शैक्षणिक संस्थानों का दौरा करना
  - स्थानीय निवासियों के साथ मीटिंग करना
- मामले में जिला अधिकारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या मेट्रो पोलिटियन मजिस्ट्रेट के पास जमा किये गए जरूरी दस्तावेजों का फाइल बना कर उन्हें सुरक्षित रखना।
- किसी एक पक्ष या दोनो पक्ष द्वारा प्रार्थना किये जाने पर शादी में दिये गए पैसों, उपहारों आदि की सूची बनाना, और शादी रद्द करने के सम्बन्ध में जिला न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान उस सूची को पेश करना।
- बाल विवाह की घटना रिपोर्ट करनाः–
  - कोई भी व्यक्ति जिसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि बाल विवाह हो चुका है, हो रहा है या फिर होने वाला है, वह मौखिक, लिखित, फोन करने, ईमेल के जरिये उस क्षेत्र के बाल विवाह निषेध अधिकारी को सूचना दे सकता है।
  - बाल विवाह हो चूका है, हो रहा है या फिर होने वाला है, के बारे में सूचना प्राप्त करने के बाद बाल विवाह निषेध अधिकारी फॉर्म–1 में एक बाल विवाह की घटना रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे न्यायालय में प्रस्तुत करेगा, तथा उस रिपोर्ट की दूसरी प्रति स्थानीय पुलिस थाना को भेजेगा।
  - शिकायत में जो कुछ भी लिखा गया है उसके बाबजूद बाल विवाह हो चुका है, हो रहा है अथवा होने वाला है कि शिकायत बाल विवाह अधिकारी इस आधार पर स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है कि यह सूचना उसके कार्यक्षेत्र की नहीं है। वह शिकायत को रिकॉर्ड करेगा और तत्काल सम्बंधित बाल विवाह निषेध अधिकारी को भेजेगा। जिस बाल विवाह अधिकारी को यह सूचना भेजी जायगी वह तत्काल फॉर्म–1 में इस सूचना को दर्ज करेगा।
  - बाल विवाह निषेध अधिकारी शिकायतकर्ता को निशुल्क बाल विवाह दृष्टान्त रिपोर्ट प्रदान करेगा।

आदेशनुसार बिहार सरकार
संयुक्त सचिव

फॉर्म-1
(नियम 11)

बाल विवाह दृष्टान्त रिपोर्ट

विवाह रिकॉर्ड रजिस्टर सं0 .....दिनांक .....

गाँव/वार्ड सं0 और नाम	ग्राम पंचायत/ब्लाक/नगरपालिका परिषद्	विकास खंड	जिला

1. बाल विवाह के नाबालिग लड़के का नाम व उम्र
2. बाल विवाह के नाबालिग लड़के के पिता का नाम
3. बाल विवाह के नाबालिग लड़के के माता का नाम
4. बाल विवाह के नाबालिग लड़के का पता व फोन नंबर
5. बाल विवाह के नाबालिग लड़की का नाम व उम्र
6. बाल विवाह के नाबालिग लड़की के पिता का नाम
7. बाल विवाह के नाबालिग लड़की के माता का नाम
8. बाल विवाह के नाबालिग लड़की का पता व फोन नंबर
9. शादी की तिथि
10. शादी का स्थान
11. जहाँ शिकायत दर्ज है उस थाने का नाम
12. एफ. आई. आर. संख्या

(ठ) आदेश जिन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त करने की जरूरत है-

क्र. सं0	आदेश	हाँ/नहीं	अन्य आदेश
1	2	3	4
1	धारा 13 के अंतर्गत प्रतिबंध निषेधाज्ञा		
2	धारा 3 के तहत रद्दीकरण आदेश		
3	धारा 4(4) के तहत निवास आदेश		
4	धारा 4(1) के तहत गुजरा भत्ता का आदेश		
5	धारा 5 के तहत संरक्षण आदेश		
6	अन्य आदेश		

बिहार गजट असाधारण, 11 मई 2010

इसके द्वारा कहा जा रहा है कि श्री ..... का बाल विवाह (पुरुष पक्षकार के लिए) पुत्र ..... निवासी ..... और श्रीमती .....(महिला पक्षकार के लिए) पुत्री श्री..... निवासी ..... का उत्सव स्थान ..... पर दिनांक ..... कार्यालय में बाल विवाह रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज हुआ.

बाल विवाह निषेध अधिकारी के मुहर

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग